

कार्य में देरी कराई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

डिलाई बरतने पर कार्तिकेयन कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध एक लाख रुपैया पेनल्टी

अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम कार्यों की समीक्षा की

रत्नाम 1 मई । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम द्वारा नगर में नागरिकों के हित में किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर कार्यों में देरी, समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदारों को फटकार लगाई तथा हृद से भी ज्यादा डिलाई बरतने पर ठेकेदार अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन राहुल पाटीदार को 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए साथ ही कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन चंदन ठेकेदार पर एक लाख रुपये की पेनल्टी लगाई। कलेक्टर द्वारा नगर निगम के इंजीनियरों द्वारा ढीली-ढाली मॉनिटरिंग पर भी सख्त नाराजगी व्यक्त की।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि ठेकेदार अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन द्वारा सेठ जी का बाजार में सीसी रोड नाली पेवर ब्लॉक इत्यादि 50 लाख की लागत के निर्माण कार्यों में अत्याधिक देरी की जा रही है, कलेक्टर ने कहा कि अनावश्यक देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने ठेकेदार को 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। संबंधित ठेकेदार नगर निगम ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी कार्य नहीं कर पाएगा।

इसी प्रकार कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन द्वारा भी कार्य नहीं करने पर उसके विरुद्ध एक लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए कलेक्टर ने निगमायुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए कि ठेकेदार की क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए यदि वह कार्य नहीं कर पाता है तो शहर का नुकसान होता है बाजार क्षेत्र में कार्यों में देरी से व्यापारी परेशान होते हैं। समीक्षा में देखने में आया कि कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन का टर्नओवर 70 लॉख रुपए का है परंतु उसके पास दो करोड़ रुपए के कार्य हैं उसकी क्षमता से ज्यादा कार्य उसको दिए गए हैं कलेक्टर ने यह भी कहा कि ठेकेदार द्वारा टेंडर होत ही कार्य शुरू कर देना चाहिए।

आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान ठेकेदार द्वारा बताया गया कि शहर में सड़क निर्माण के दौरान ट्रैफिक संबंधी समस्या आने से उसके कार्य में देरी हुई है इस पर कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हे नियोजित ढंग से कार्य करना आना चाहिए यदि ट्रैफिक की समस्या है तो ट्रैफिक डीएसपी के साथ समन्वय रखकर नियोजित ढंग से योजना तैयार की जाना चाहिए व जरूरत पड़ने पर रात्रि में भी कार्य किया जाना चाहिए।

कलेक्टर ने ठेकेदारों को स्पष्ट कहा कि वे अपनी क्षमता अनुसार ही काम का ठेका ले कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन कहा कि जब आपके द्वारा अधिक कार्य कर पाना संभव नहीं है तो ठेका क्यों लिया है इस दौरान कलेक्टर द्वारा जीतश्री एंड छाजेड कंस्ट्रक्शन द्वारा अच्छा कार्य किए जाने पर उसकी सराहना भी की गई कलेक्टर ने सभी इंजीनियर को भी निर्देशित किया कि लापरवाही बंद करें समय सीमा में काम पूर्ण करने का ख्याल रखें इसके साथ ही ठेकेदारों द्वारा कंस्ट्रक्शन सामग्री की बढ़ती कीमतों का ध्यान आकर्षित करने पर कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को एस्टीमेट पुनरीक्षित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने स्वच्छता अभियान की भी समीक्षा की स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत नागरिक फीडबैक के बारे में जानकारी प्राप्त की इसके अलावा शहर में पेयजल व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा कार्य प्रगति की जानकारी में बताया गया कि सुयोग परिसर में पीएमवाय बिल्डिंग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है इसी प्रकार पद्मश्री बार सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 तक सीसी निर्माण और यू शेप ड्रेन निर्माण पूरा कर लिया गया है, अन्य पूर्ण कार्यों में मॉर्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़क, रॉकेट लॉन्ड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण, इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण, डोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी और यू शेप ड्रेन निर्माण, अंबे माता चौक से राधा कृष्ण मंदिर होते हुए साई बिल्डिंग तक डामरीकरण सड़क निर्माण तथा चांदमारी से रेलवे हॉस्पिटल तक डामरीकरण कार्य शामिल है।

बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, अनवर कुरेशी, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, सहायक वर्ग-3 श्री कैलाश गोहलोत सहित ठेकेदार उपस्थित थे।

मजदूर दिवस पर निगम के सफाई मित्रा का हुआ सम्मान

रत्नाम 1 मई । नगर को साफ व स्वच्छ बनाने के महत्वपूर्ण कार्य में लगे नगर निगम के सफाई संरक्षकों का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने 01 मई विश्व मजदूर दिवस पर नगर निगम सभागृह में पुष्पहार व शाल पहनाकर उनका सम्मान कर उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि 1 मई 1886 को अमेरिका में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर सड़कों पर आ गए थे और वो अपने हक के लिए आवाज बुलांद करने लगे। इस तरह के आंदोलन का कारण था काम के घंटे क्योंकि मजदूरों से दिन के 15–15 घंटे काम लिया जाता था। आंदोलन के बीच में मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी और कई मजदूरों की जान चली गई। वही 100 से ज्यादा श्रमिक घायल हो गए। इस आंदोलन के तीन साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई। जिसमें तय हुआ कि हर मजदूर से केवल दिन के 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। अमेरिका में भले ही 1 मई 1889 को मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव आ गया हो। लेकिन भारत में ये आया करीब 34 साल बाद। भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई से मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई।

उन्होंने बताया कि 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और योगदान को याद करना है। इसके साथ ही मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलांद करना और शोषण को रोकना है।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री श्री अनवर कुरेशी, निजी सहायक श्री सुभाष गोयल, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, धर्मेन्द्र दोगाया के अलावा सर्वश्री कमल भाटी, विजय खरे, अशोक हाड़े, कमल शिन्दे, संजय पैमाल, राम कल्याणे, मुकेश खरे, राजू कल्याणे, श्याम छपरी सहित सफाई मित्र उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत 14 मई को होगी आयोजित

निगम के करों की बकाया राशि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 29 अप्रैल । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु आज 14 मई 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया हाने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2021–22 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 14/05/2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 मई 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

कचरा, गंदंगी व अतिक्रमण करने पर 13 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 1 मई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 1 मई को 13 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया साथ ही काकाशी फुटवियर को सील किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कचरा एवं गंदगी करने पर गंगा कैफे, कटारिया ड्रेस, योगेन्द्रसिंह, हरिलाल, मोहम्मद शामी, गोवर्धन, अतुल, मंगल पर 500—500, निर्मल, अनिल पर 300—300, राहूल पर 250, संदीप व कैलाश पर 200—200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपर्युक्त श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

रात्रिकालीन सफाई के 13 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 1 मई । शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 30 अप्रैल शनिवार को निरीक्षण किये जाने पर रात्रिकालीन सफाई के 13 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया।

30 अप्रैल शनिवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी दीपक—पूनमचन्द, राजा—कैलाश, पंकज—फिरोज, नवीन—फिरोज, विनोद—हीरालाल, दीपक—रतनलाल, विकास—कैलाश, रवि—उंकार, विशाल—कैलाश, राकेश—रमेश, गौरव—राजेन्द्र, संतोष—प्रभुदयाल, संदीप—संजय बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 1 मई । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति

के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मोबाइल नम्बर 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 1 मई । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाइल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाइल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 1 मई । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भाँति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवाय किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 1 मई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 1 मई। स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/01.05.2022/न.पा.निगम, रतलाम